राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(3)दिशा–निर्देश/विधि/पंरा/2024/27 जयपुर,दि0 23-01-2024

–::परिपत्र::–

पंचायती राज संस्थाओं का संचालन संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। किसी भी संस्था की गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण निर्वाचित सदस्यों की सभा मे लिए गये निर्णयों के अध्यधीन होता है। यह निर्णय उस संस्था की बैठकों में विचार–विमर्शो के उपरान्त लिये जाते है, जिनका लिखित रिकॉर्ड "**कार्यवाही विवरण**" में दर्ज किया जाता है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–44 में बैठक की कार्यवाहियों बाबत प्रावधान दिये गये है। उक्त प्रावधानों के तहत पंचायती राज संस्थाओं की कार्यवाहियां हिन्दी में किसी पंचायत की दशा में सचिव, पंचायत समिति की दशा में विकास अधिकारी और किसी जिला परिषद की दशा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जानी होती हैं। कार्यवाही विवरण किसी भी संस्था का मूलभूत विधिक दस्तावेज होता है। कार्यवाही विवरण दर्ज किये जाने में प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाना अनियमित एवं विधि विरूद्ध कार्य की श्रेणी में आता है।

विभाग के ध्यान में आया है कि अधिकांश पंचायती राज संस्थाओं में कार्यवाही विवरण का अंकन नियमानुसार नहीं हो रहा है । बैठक समाप्त होने के पश्चात् कार्यवाही विवरण के अन्त में उपस्थित सदस्यो के हस्ताक्षर करवाये जाने के स्थान पर कार्यवाही विवरण के साईड(हाशिए) में करवाये जाते हैं इससे यह होता है कि बाद में कार्यवाही विवरण में ऐसे प्रस्ताव भी जोड़े जाने की सम्भावना रहती है जो प्रस्ताव बैठक में विचारार्थ लिए ही नहीं गए । अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवाही विवरण के अंत में बिना कोई रिक्त स्थान छोड़े करवाए जायें ताकि बाद में कोई विवरण दर्ज नहीं किया जा सके ।

यह भी ध्यान में आया है कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यवाही विवरण दर्ज किये जाने हेतु प्राईवेट स्टेशनरी दुकानों से प्रिंटेड कार्यवाही विवरण रजिस्टर संधारित कर काम में लिए जा रहे है। इन प्रिंटेड कार्यवाही विवरण रजिस्टरों पर स्पष्ट रूप से "प्रपत्र संख्या 24 (देखिये नियम 164)" मुद्रित है। उक्त कार्यवाही विवरण रजिस्टर का प्रपत्र राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के तहत राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 164 में से लिया गया है, जो कि न्याय उपसमिति की कार्यवाही विवरण के लिए निर्धारित किया गया था न कि पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों के कार्यवाही विवरण के लिए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि **राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 124 के तहत निरसित (Repeal) किया जा चुका है अर्थात् उक्त अधिनियम, 1953 अब अस्तित्व में नही है। किसी पंचायती राज संस्था द्वारा वर्तमान में राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 में दिये गये किसी भी प्रपत्र/प्रारूप का उपयोग किया जाना विधि विरूद्ध है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार प्रिंटेड कार्यवाही विवरण रजिस्टरों का उपयोग तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाये।**

कार्यवाही विवरण दर्ज किये जाने हेतु किसी प्रिंटेड रजिस्टर की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सामान्य लाईनदार रजिस्टर का उपयोग कार्यवाही विवरण के लिखने हेतु किया जा सकता है। समस्त पंचायती राज संस्थाओं में कार्यवाही विवरण रजिस्टर की एकरूपता बनाये रखने के लिए

कार्यवाही विवरण अभिलिखित किये जाने बाबत कार्यवाही विवरण का एक नमूना प्रपत्र नीचे दिया जा रहा है:–

कार्यवाही विवरण रजिस्टर का नमूना प्रपत्र

1. बैठक होने की दिनांकः– 01.01.2024
2. बैठक का स्थान :– ग्राम पंचायत भवन
3. बैठक की अध्यक्षता करने वाले का नाम व पदनाम :– श्रीमती हेमलता, सरपंच
4. बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम, पदनाम व हस्ताक्षरः–

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1. श्रीमती हेमलता	सरपंच	
2. श्री रामलाल	उपसरपंच	
3. श्री लादूराम	वार्ड पंच	
4. सुश्री ललिता	वार्ड पंच	
5. श्रीमती सरिता	वार्ड पंच	

5. बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

आज दिनांक 01.01.2024 को ग्राम पंचायत ..... की साधारण सभा की बैठक में उपरोक्त सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। एजेंडा बिन्दुओं के अनुसार चर्चा करने के उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 01:– .....

.....

.....

प्रस्ताव संख्या 02:– .....

.....

.....

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

....

हस्ताक्षर सचिव हस्ताक्षर सरपंच

.....

उपस्थित समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर

उपरोक्त नमूना प्रपत्र के अनुसार ही कार्यवाही विवरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर ।
3. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त(राजस्थान) ।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त(राजस्थान) ।
5. एसीपी पंचायचती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)